

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 32


Number of Pages in Booklet : 32

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 100

Number of Questions in Booklet : 100

समय/Time : 2.00 घंटे /Hours

पूर्णांक / Maximum Marks : 100



बुकलेट  
सीरीज

निर्देश

### INSTRUCTIONS

1. Answer all questions.
  2. All questions carry equal marks.
  3. Only one answer is to be given for each question.
  4. If more than one answer is marked, it would be treated as wrong answer.
  5. Answers are to be marked on the OMR Answer Sheet, which is provided separately.
  6. Each question has four options marked serially as 1,2,3,4, out of which only one is correct. Candidate has to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLACK/ BLUE BALL POINT PEN.
  7. There is no Negative Marking.
  8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
  9. Please carefully and correctly fill your Roll Number and Series printed on Question Paper Booklet on O.M.R. Answer Sheet.
  10. If there is any sort of ambiguity / mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.
  11. Answer to the question by darkening multiple circles or by wrong method or using whitener will not be evaluated.
1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
  2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
  3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए ।
  4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
  5. प्रश्नों के उत्तर पृथक से दिये जाने वाले ओ.एम. आर. पत्रक पर अंकित करें ।
  6. प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1,2,3,4 अंकित किया गया है, जिनमें से एक सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से गहरा करना है ।
  7. कोई नकारात्मक अंकन नहीं है ।
  8. परीक्षा हॉल में मोबाईल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पूर्णतः वर्जित है । किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी वर्जित सामग्री पाये जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
  9. कृपया अपना रोल नम्बर एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका पर अंकित सीरीज ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें ।
  10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता/त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा ।
  11. एक से अधिक गोले भरने या गलत तरीके से गोला भरने अथवा व्हाइटनर का उपयोग करने पर उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

Warning : Candidate using unfair means in the exam will be disqualified & action as per law shall be taken.

चेतावनी : परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं विधिनुसार कार्यवाही की जायेगी।

1. Under provisions of Indian Succession Act, 1925 probate cannot be granted to:-  
(1) A married daughter.  
(2) A minor son.  
(3) Illegitimate child .  
(4) Half brother.
1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोबेट प्रदान नहीं किया जा सकता है:-  
(1) एक विवाहिता पुत्री को ।  
(2) एक अवयस्क पुत्र को ।  
(3) अधर्मज शिशु को ।  
(4) अर्धरक्त भाई को ।
2. Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 who among the following cannot be adopted:-  
(1) A Hindu.  
(2) Already adopted child.  
(3) A minor.  
(4) An unmarried child.
2. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इनमें से किसे दत्तक नहीं लिया जा सकता है :-  
(1) एक हिन्दू को ।  
(2) पूर्व से दत्तक बालक को ।  
(3) एक अवयस्क को ।  
(4) एक अविवाहित बालक को ।
3. Which of the following is not a 'Public Utility Service' for the purpose of the Legal Services Authority Act, 1987:-  
(1) Transport Service.  
(2) Postal, Telegraph or Telephone Service.  
(3) Insurance Service.  
(4) Banking Services.
3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौनसी "जन उपयोगी सेवा" नहीं है :-  
(1) परिवहन सेवा ।  
(2) डाक, तार अथवा दूरभाष सेवा ।  
(3) बीमा सेवा ।  
(4) बैंकिंग सेवा ।
4. In a case where a party is added or substituted owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit, the suit shall as regards him, be deemed to have been instituted:-  
(1) On the date the suit was instituted.  
(2) When he was so made a party.  
(3) On the date when the application for addition or substitution is made.  
(4) None of the above.